(प्रारूप)

अनुबंध पत्र

(संचालक उद्यानिकी एवं पॉली हाउस/शेडनेट हाउस निर्माता कंपनी के बीच)

प्रथम पक्षकार.–
.संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
विंध्याचल भवन 6वीं मंजिल भोपाल

द्वितीय पक्षकार–
निर्माता कम्पनी–.................................
....

मैं, **द्वितीय पक्षकार–** ...., अनुबंध करता हूँ कि भारत शासन द्वारा **वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18** में संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के घटक संरक्षित खेती योजनांतर्गत पॉली हाउस/शेडनेट हाउस / वाक–इन टनल संरचना के निर्माण करने हेतु मुझे/हमे मान्यता दी गई है । संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मध्यप्रदेश भोपाल को प्रदत्त अधिकारों के अनुसार उनके द्वारा निर्धारित निम्नलिखित नियम व शर्तें मुझे मान्य हैं।

1. यह कि मैं वचन (परफामेर्न्स गारण्टी) देता हूँ कि कृषक की भूमि के आकार, प्रकार अनुसार कृषि भूमि पर प्रतिष्ठापित पॉली हाउस/शेडनेट हाउस संरचना कम से कम 10 (दस वर्ष) तक कार्यशील रहेगा की गारंटी एवं पॉली फिल्म और शेड नेट की 3 बर्षो की वारंटी रहेगी ।
2. यह कि कृषकों की भूमि पर प्रतिष्ठापित पॉली हाउस/शेडनेट हाउस / वाक–इन टनल संरचना के विभिन्न घटकों की देखरेख एवं सुधार अथवा नये बदली किये जाने जैसी स्थिति होगी, (निर्माण संबंधी खराबी के कारण) उसके आगामी **तीन वर्षों** तक निःशुल्क कार्यशील रखा जावेंगा।
3. यह कि पॉली हाउस/शेडनेट हाउस / वाक–इन टनल संरचना प्रतिष्ठापन उपरांत 15 दिवस में संरचना के अन्दर फसलों के उत्पादन एवं रखरखाव सम्बन्धी प्रशिक्षण मेरे द्वारा दिया जावेगा । कृषकों के खेतो पर स्थापित पॉली हाउस/शेडनेट हाउस संरचना का निरीक्षण मेरी कम्पनी के स्थानीय प्रतिनिधि द्वारा समय समय पर किया जायेगा, तथा कृषक की ओर से शिकायत प्राप्त होने पर समस्या का निराकरण सात दिवस के भीतर किया जावेगा ।
4. यह कि यदि आगामी वर्षो में मेरी कम्पनी द्वारा योजनान्तर्गत पंजीयन नहीं कराया जाता है अथवा कारोबार नहीं किया जाता है तब भी मैं योजनान्तर्गत कृषक के खेत पर स्थापित सिस्टम का **तीन वर्ष** तक निःशुल्क रख–रखाव का कार्य सम्पादित करूंगा ।
5. यह कि मेरी कम्पनी द्वारा पॉली हाउस/शेडनेट हाउस/ वाक–इन टनल संरचना के अन्दर फसलों के उत्पादन तकनीकी एवं देखरेख से संबंधित जानकारी की पुस्तिका हिन्दी भाषा में कृषक को पॉली हाउस/शेडनेट हाउस संरचना प्रतिष्ठापित करते समय प्रदाय की जायेगी

6. (1) यह कि मेरी कंपनी निम्नानुसार पॉली हाउस/शेडनेट हाउस / वाक–इन टनल संरचना कें निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री की स्वयं उत्पादक है जो निम्नानुसार है –

तालिका–1

क	घटक का नाम	घटक का उत्पादन विवरण	आई.एस. क्रमांक	सी.एम./ एल क.	वैद्यता दिनांक	ब्रांडनेम
1						
2						
3						
4						

(2) यह कि मेरी कंपनी निम्नानुसार पॉली हाउस/शेडनेट हाउस/ वाक–इन टनल संरचना के घटकों का उत्पादन नहीं कर रही हैं । इसके लिए जिन बी.आई.एस. मानक अथवा ब्रांड नेम उपयोग करने की मान्यता दी गई है, हम उसी ब्रांड नेम की सामग्री की प्रदायगी एवं गुणवत्ता हेतु उत्तरदायित्व हमारा रहेगा ।

तालिका–2

क	घटक का नाम	प्रदायक निर्माता कंपनी का नाम व पता	आई.एस.क.	सी.एम. /एल क.	वैद्यता दिनांक	ब्रांडनेम
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

NOTE :–तालिका कमांक–1 एवं 2 मे उन्ही घटकों (Components) के नामों का उल्लेख किया जाये जिनके नाम ऑफर विवरण में दिये गये है उक्त तालिका पूर्ण भरना आवश्यक है।

7. यह कि पॉली हाउस/शेडनेट हाउस/वाक–इन टनल संरचना के गुणवत्ता हेतु संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी द्वारा अधिकृत अधिकारी मौके पर स्थापित संयंत्र के किसी भी घटक का जिसे वह चाहे रेण्डम नमूना ले सकेंगे, जिसमें उन्हें पूर्ण सहयोग मेरे द्वारा किया जायेगा तथा लिये गये नमूनों मे से अमानक स्तर की सामग्री के स्थान पर तत्काल निःशुल्क नया घटक स्थापित कराकर संरचना को चालू किया जायेगा तथा विधिवत परीक्षण रिर्पोट मान्य होगी।

8. यह कि यदि लिये गये सेम्पल असफल होते है तो पंजीयन रद्द कर बैंक गारंटी जब्त की जावें।

9. यह कि कृषक द्वारा सूचना देने के उपरान्त सात दिवस की समयावधि में संरचना की मरम्मत नही कराई जाती है, ऐसी स्थिति में संरचना के अकार्यशील के कारण कृषक को होने वाली फसल हानि की जानकारी कृषकों द्वारा पेश किये जाने पर जिला उद्यानिकी अधिकारी द्वारा जो वैधानिक एवं पैनाल्टी की कार्यवाही की जायेगी, वह मान्य होगी ।

10 यह कि पॉली हाउस/शेडनेट हाउस /वाक–इन टनल के निर्माण कार्य पश्चात प्रतिष्ठित बीमा कम्पनी से बीमा कराया जाना अनिवार्य होगा जिसकी अवधि 3 बर्ष की होगी एवं भौतिक सत्यापन के समय प्रति उपलब्ध कराई जावेंगी ।

11 यह कि मेरे द्वारा पॉली हाउस/शेडनेट हाउस वाक–इन टनल संरचना में लगने वाले प्रमुख घटकों का एक–एक नमूना सूची बद्व कर संबंधित जिला उद्यानिकी अधिकारी को निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा ।

12. यह कि मेरे द्वारा योजनान्तर्गत पॉली हाउस/शेडनेट हाउस वाक–इन टनल संरचना में लगने वाली सामग्री की प्रदायगी एवं स्थापना कृषकों के खेतों पर दिये जाने की शर्त मान्य है जिसका कोई परिवहन शुल्क कृषक से नहीं लिया जायेगा ।

13. यह कि कृषक के खेत पर प्रतिष्ठापित किये जाने वाले पॉली हाउस/शेडनेट हाउस संरचना का सर्वे, डिजाइन एवं प्रांकलन आदि कार्य मेरे द्वारा निःशुल्क कराया जायेगा ।

14. यह कि मेरे द्वारा बी.आई.एस. मानक स्तर की ही सामग्री प्रदाय की जायेगी । प्रदायगी के पूर्व उत्पाद की टेस्ट रिर्पोट कृषक को एवं जिला अधिकारी को दी जावेंगी ।

15 यह कि मेरे द्वारा जिलों में आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय स्तर पर सर्विस सेंटर स्थापित कराये गये है, जो कृषकों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने में सक्षम एवं तत्पर रहेंगे तथा सेंटर पर पॉली हाउस/शेडनेट हाउस संरचना में लगने वाले आवश्यक सभी उपकरण उपलब्ध रहेंगे। सर्विस सेंटर के फोन नं./ई–मेल आदि की जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी ।

16. यह कि मेरे द्वारा संरचना प्रतिस्थापन कियान्वयन एजेन्सी से स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर सामग्री प्रदायगी एवं प्रतिस्थापन कार्य प्रारंभ किया जायेगा । मेरे द्वारा 21 दिनों मे सामग्री सप्लाई नही की जाती है तो इसकी सूचना जिला अधिकारी को दी जावेंगी

17 यह कि मेरे द्वारा इस आशय का अनुबंध किया जाता है कि शासकीय योजनाओं के तहत् प्रदाय सामग्री की विकय दर से कम दर पर प्रदेश में कहीं भी एवं किसी भी व्यक्ति अथवा संस्थान को सामग्री की विकी नहीं की जावेंगी ।

18. यह कि संरचना प्रतिस्थापन पश्चात कृषक का संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं देयक नियमानुसार टेक्स सहित प्रस्तुत करने के उपरान्त 15 दिवस के अंदर जिला उद्यानिकी अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन हेतु गठित दल द्वारा भौतिक सत्यापन कराया जावेंगा तत्पश्चात् भुगतान संबंधित कृषक के खाते में आर.टी.जी.एस./ई–पेमेन्ट के माध्यम से भुगतान किया जावेंगा ।

19 यह कि निर्माता कम्पनी/फेब्रिकेटर्स को ट्राई पार्टी एग्रीमेंट कृषक एवं जिला अधिकारी के साथ दिया जावेंगा ।

20 यह कि मेरी कम्पनी द्वारा यदि निर्धारित समय–सीमा में कृषक के खेत पर प्राकंलन अनुसार संरचना स्थापित न करने पर कृषक किसी अन्य पंजीकृत कंपनी के चयन करने हेतु स्वतंत्र रहेगा जो मान्य रहेगा ।

21 यह कि योजनान्तर्गत प्रतिस्थापित पॉली हाउस/शेडनेट हाउस संरचना यदि कृषक की लापरवाही या जानबूझ कर लम्बे समय तक उपयोग न करने अथवा अक्रियाशील रखने व पुनः क्रियाशील करने पर आने वाली खराबी के लिये मेरी जवाबदेही नहीं होगी ।एवं इसकी जानकारी जिलो मे पदस्थ उद्यानिकी अधिकारी / इम्प्लीमेटिंग एजेन्सी को तत्काल दी जायेगी कि कृषक द्वारा योजनान्तर्गत स्थापित पॉली हाउस/शेडनेट हाउस/वॉक इन टर्नल में कार्य सम्पादित नही किया जा रहा है तथा कृषक कितने समय से अक्रियाशील स्थिति में रखे हुए है ।

22 यह कि पॉली हाउस अधोसंरचना संरचना का निर्माण क्षेत्र विशेष की हवा की गति को ध्यान में रखते हुये तैयार किया जावेंगा (एरोडायनेमिक टाइप)।

23. यह कि कृषि मंत्रालय भारत शासन अधीन नेशनल कमेटी ऑन प्लास्टिकल्चर एप्लीकेशन इन हार्टीकल्चर (एन.सी.पी.ए.एच.) के द्वारा टेक्नीकल मेन्यूयल एन.सी.पी.ए.एच./टी.बी. /2010–11/3 जनवरी 2011 में दिये गये मानकों एवं जारी दिशा–निर्देशानुसार पॉली हाउस/शेडनेट हाउस निर्माण का कार्य किया जावेंगा।

24. यह कि निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय सामग्री जॉच उपरान्त घटिया एवं अमानक स्तर की पाई जाती है, अथवा वह सामग्री प्रदाय करने में असफल रहती है, अथवा अनुबंध की अन्य किसी भी शर्त का पालन नहीं करती है तो संचालक उद्यानिकी द्वारा कम्पनी के विरूद्व अनुबंधानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। जिसके अन्तर्गत कम्पनी को सचेत करना/ पंजीयन रद्द करना/काली सूची में दर्ज करना/ Performance bank guarantee शासन के पक्ष में राजसात करने की कार्यवाही की जा सकेगी । प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये कार्यवाही की जा सकेगी जो मुझे मान्य होगी ।

25. यह कि किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा एवं न्यायालीन प्रकरण का कार्यक्षेत्र भोपाल न्यायालय होगा । उपर्युक्त अनुबंध मैं संपूर्ण जानकारी होते हुए, व किसी भी प्रकार के दबाव में न आकर पूर्ण विचार करके करता हूँ ।

26. अनुबंध पत्र में निर्माता कम्पनी /फेब्रिकेटर्स के स्वयं के हस्ताक्षर अधिकृत अधिकारी के समक्ष होगें। किसी विशेष परिस्थिति जिसमें उपस्थिति होना संभव न हो कि स्थिति में पाटर्नर अथवा निर्माता/फेब्रिकेटर्स द्वारा अधिकृत व्यक्ति को कम्पनी के लेटर पे में या 500 रू. के स्टाम्प पेपर पर अधिकृत कराना होगा। एवं अधिकृत व्यक्ति को स्वयं का फोटो पहचान पत्र साथ में लाना होगा।

27. निर्माता कम्पनी/फेब्रिकैटर्स के पंजीयन का नवीनीकरण प्रतिवर्ष किया जावेगा।

हस्ताक्षर (अपर संचालक उद्यानिकी)	हस्ताक्षर पंजीकृत निर्माता कंपनी
नाम व पदनाम..	नाम व पदनाम..
सील...	सील...
स्थान..	स्थान..
दिनांक...	दिनांक...